न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –50/2014 जिला सीकर

1. महेश कुमार पुत्र पूरणमल
2. विनोद कुमार पुत्र पूरणमल
3. नर्बदी देवी पत्नि पूरणमल

समस्त जाति कुमावत, निवासी कुमावतों का मौहल्ला, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सांवरमल पुत्र बोदूराम
2. रामगोपाल (मृतक)

2/1 श्री राम पुत्र रामगोपाल

2/2 ओम प्रकाश पुत्र रामगोपाल

2/3 भंवरी पत्नि रामगोपाल

जाति कुमावत, निवासी बलरामपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

2/4 सुमन पुत्री रामगोपाल पत्नि शंकर लाल कुमावत, निवासी कंवरा की ढाणी, तन वेद की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2/5 रतना पुत्री रामगोपाल पत्नि रामोवतार कुमावत निवासी दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

2/6 बुल्ली पुत्री रामगोपाल पत्नि सुभाष कुमावत, निवासी भोया तहसील धोद जिला सीकर ।

3. बिहारी लाल पुत्र बोदूराम
4. मनभरी (मृतक) दौराने अपील पत्नी बोदूराम
5. चम्पा देवी पत्नी मोहरू

समस्त जाति कुमावत, निवासी बलरामपुरा, तहसील व जिला सीकर

6. रतनी देवी पत्नि श्री किशन पुत्री बोदूरीाम जाति कुमावत, निवासी कुमावत कुंज मुकाम पोस्ट जोजोर, जिला नागोर ।
7. अकनी देवी पत्नी पोखरमल पुत्री बोदूराम जाति कुमावत निवासी मुकाम पोस्ट बादूसर जिला सीकर ।
8. सोहनी देवी पत्नि श्री पन्ना लाल पुत्री बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी गणेश जी के मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 15, लोसल जिला सीकर ।

9. राधा देवी पत्नि ताराचन्द पुत्री बोदूराम जाति कुमावत, निवासी निवासी मुकाम पोस्ट दांता जिला सीकर ।

10 मिश्री देवी पत्नि कैलाश पुत्री बोदूराम जाति कुमावत निवासी चोखियों की धर्मशाला के पास, वार्ड नम्बर 5 मुकन्दगढ जिला झुंझुंनू ।

11. सरकार जरिये तहसीलदार सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.1.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रामावतार प्रजापत

निर्णय

दिनांक– 15.1.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 16.1.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सांवरमल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्रम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर बारानी द्वितीय अवस्थित है । आवेदक व अनावेदकगण की पैतृक कृषि भूमि है । सजरा खानदान पैरा संख्या 2 अनुसार है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 के पति पूरणमल एवं आवेदक व अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 के पिता बोदूराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त विवादित भूमि एवं अन्य पैतृक आराजियात का मौखिक एवं बाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के पिता पूरणमल के हक हिस्से व अधिकार में ग्रम नानी में अवस्थित कृषि आराजी आई तथा आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता बोदूराम के हक व हिस्से में उपरोक्त विवादित आराजी आई, जिसके उपरान्त से आवेदक व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उपरोक्त विवादित आराजी पर काश्त करते हुए इनका एक मात्र हक, अधिकार कब्जा एवं काश्तकारी चली आ रही है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कोई हक, अधिकार, कब्जा एवं काश्त ना तो कभी रहा है ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा बोदूराम एवं पूरणमल की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 6 के साथ साजिशी कार्यवाही कर आवेदक एवं अन्य

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के फर्जी एवं कुटरचित हस्ताक्षर कर विरासत के आधार पर उपरोक्त विवादित आराजियात में से आधे हिस्से का नामांतरकरण अपने पक्ष में खुलवा लिया जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम 1/2 हिस्से के रूप में अंकित हुआ । अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य सर्वथा अनुचित, अनाधिकृत एवं अवैध है । आवेदक ने ग्रम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर की तन स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर बारानी द्वितीय में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण रकबा आवेदक व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 तथा उनकी माता मनभरी व आवेदक के मृत भाई मोहन की पत्नि चम्पा देवी के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2013 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट का अवलोकन कर स्पष्ट माना कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर भूमि आवेदक एवं अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, जो आपसी बाहमी बंटवारे से आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के हिस्से में आई है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट से भी विवादित भूमि पर आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कब्जा काश्त सिद्ध होना मानते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया गया कि ग्रम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर बारानी द्वितीय में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण रकबा आवेदक सांवरमल पुत्र बोदूराम कुमावत निवासी ग्रम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 रामगोपाल, बिहारी लाल पुत्रगण बोदूराम, जाति कुमावत निवासी ग्रम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर तथा उनकी माता मनभरी पत्नी बोदूराम व आवेदक के मृत भाई मोहन की पत्नि चम्पा देवी के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.1.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट महेश कुमार वगैहरा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.1.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में लिखित में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक थी, जो बोदूराम व पूरणमल के नाम 1/2–1/2 भाग अंकित हुई थी । बोदूराम के स्वर्गवास पर उसके वारिसान के नाम व पूरणमल के स्वर्गवास पर उसके वारिसान के नाम अंकित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी । उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.1.2013 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थियान की खातेदारी को धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत निरस्त कर दिया, जो स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार विहिन है । उनका कहना था कि धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में केवल लिपिकीय त्रुटियां ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने या निरीक्षण के समय त्रुटि की जानकारी आ जावे तो दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है , जिसके तहत सहखातेदारों का नाम नहीं हटाया जा सकता । उनका कहना था कि यदि ग्रम नानी में भी कोई सहखातेदारी की भूमि पक्षकारान की है तो भी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत बंटवारे की डिक्री प्राप्त होने पर ही नाम हट सकते हैं । उनका कहना था कि प्रार्थीगण को ग्रम नानी का निवासी बताया गया है जबकि प्रार्थीगण ग्रम नानी के निवासी नहीं होकर कुमावतों का मौहल्ला, सीकर के निवासी है , जिस पते पर कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया । ग्रम नानी में प्रार्थीगण का कोई निवास नहीं है । तथाकथित तामिल यदि कोई है तो वह सरासर फर्जी व नुमाईशी है । अपीलान्ट को बिना सूचना व नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश एकपक्षिय पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलाधीन आदेश के खिलाफ निगरानी राजस्व मण्डल में पेश की थी, जो निर्णय दिनांक 2.7.2014 से सक्षम अदालत में अपील करने की आज्ञा देते हुये निरस्त करदी थी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि का पूरणमल व बोदूराम ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक एवं बाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार पूरणमल के हक , हिस्से व अधिकार में ग्रम नानी में अवस्थित आराजियात आई तथा बोदूराम के हक , हिस्से व अधिकार में उपरोक्त विवादित आराजी आई । जिसके उपरान्त रेस्पोंडेन्ट सांवरमल, रामगोपाल व बिहारी लाल विवादित आराजी पर काबिज काश्त है जिस पर पूरणमल के वारिसान महेश कुमार, विनोद कुमार व नर्बदी देवी का कोई हक व अधिकार एवं कब्जा काश्त ना तो कभी रहा ना ही वर्तमान में है । पूरणमल के वारिसान द्वारा बोदूराम व पूरणमल की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार से साजिश कर सांवरमल , रामगोपाल व बिहारी लाल पुत्रान बोदूराम के फर्जी , कूटरचित हस्ताक्षर कर विरासत के आधार पर विवादित आराजियात में आधे हिस्से का नामांतरकरण अपने पक्ष में खुलवा लिया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में

उनका नाम 1/2 हिस्से के रूप में अंकित हो गया, जो सर्वथा अनुचित व अनाधिकृत एवं अवैध है , जिसे दुरूस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2013 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट माना कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर आवेदक एवं अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, जो आपसी बाहमी बंटवारे से आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के हिस्से में आई है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट से भी विवादित भूमि पर आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कब्जा काश्त सिद्ध होना मानते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया गया कि ग्राम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर बारानी द्वितीय में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण रकबा आवेदक सांवरमल पुत्र बोदूराम कुमावत निवासी ग्राम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 रामगोपाल, बिहारी लाल पुत्रगण बोदूराम, जाति कुमावत निवासी ग्राम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर तथा उनकी माता मनभरी पत्नी बोदूराम व आवेदक के मृत भाई मोहन की पत्नि चम्पा देवी के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवादित भूमि की खातेदारी रामगोपाल, बिहारी लाल, सांवरमल पि. बोदूराम, मनभरी पत्नी बोदूराम एवं चम्पा देवी पत्नी मोहन रेस्पोंडेन्ट्स के नाम हिस्सा 1/2 एवं महेश, विनोद पि. पूर्णमल, नर्बदा पत्नी पूर्णमल अपीलान्ट्स के नाम हिस्सा 1/2 राजस्व अभिलेख में अभिलिखित थे । विवादित भूमि का पूरणमल व बोदूराम ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक एवं बाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार पूरणमल के हक , हिस्से व अधिकार में ग्राम नानी में अवस्थित आराजियात आई तथा बोदूराम के हक , हिस्से व अधिकार में उपरोक्त विवादित आराजी आई , लेकिन पूरणमल के वारिसान ने विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा अपने नाम करा लेने से बोदूराम के वारिसान रेस्पोंडेन्ट सांवर मल वगैहरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया, जो उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2013 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट माना कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर भूमि

आवेदक एवं अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, जो आपसी बाहमी बंटवारे से आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के हिस्से में आई है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट से भी विवादित भूमि पर आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कब्जा काश्त सिद्ध होना मानते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया गया कि ग्रम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 2.6500 हैक्टेयर बारानी द्वितीय में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण रकबा आवेदक सांवरमल पुत्र बोदूराम कुमावत निवासी ग्रम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 रामगोपाल, बिहारी लाल पुत्रगण बोदूराम, जाति कुमावत निवासी ग्रम बलरामपुरा तहसील व जिला सीकर तथा उनकी माता मनभरी पत्नी बोदूराम व आवेदक के मृत भाई मोहन की पत्नि चम्पा देवी के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि जमाबन्दी संवत 2065–2068 ग्रम बलरामपुरा के अनुसार खाता संख्या नया 76 एवं पुराना 66 रकबा 2.6500 हैक्टेयर का खातेदार हीरा पुत्र नोला , जाति कुम्हार अंकित है एवं नामांतरकरण संख्या 51 दिनांक 6.5.2010 विरासत में खातेदारी रामगोपाल, बिहारी लाल , सांवरमल पि. बोदूराम , मनभरी पत्नी बोदूराम , चम्पा देवी पत्नी मोहन हि.1/2, महेश, विनोद पि. पूरणमल , नर्बदी पत्नी पूरणमल हिस्सा 1/2 के नाम अंकित है । अपीलान्ट्स का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने से वे प्रभावित पक्षकार हैं , जिन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक एवं न्यायिक था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय प खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही रेस्पोंडेन्ट सांवरमल का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार करने में प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने पारित आदेश को विधिक एवं न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.1.2013 को प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.1.2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान पर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु

प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.1.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर